कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1090 / 2021 / 10–11 / 586 भोपाल, दिनांक 29/01/2024

प्रेषक :–

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– **श्योपुर जिले में नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–552 गोरस–श्यामपुर मार्ग के विस्तारित / चौड़ीकरण हेतु 52.164 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत्।**

संदर्भः– आपका का पत्र क्रमांक / 6-MPR 003/2022-BHO दिनांक 29.03.2023.

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

शर्ते–A

1– शर्त क्रमांक A(1) के पालन में आवेदक संस्थान ने वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि रू0 3,32,41,349 / – यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 19.05.2023 को जमा की जा चुकी है।

2– शर्त क्रमांक (2) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 6,03,86,524 / – यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 19.05.2023 को जमा की जा चुकी है।

3– शर्त क्रमांक (3) के पालन में प्रकरण में प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि एवं नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि दिनांक 19.05.2023 को एड–हॉक कैम्पा के अन्तर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।

4– शर्त क्रमांक (4) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर श्योपुर का प्रमाण पत्र दिनांक 05.12.2022 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

5– शर्त क्रमांक (5) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है, वचन पत्र संलग्न है।

6– शर्त क्रमांक (6 एवं 7) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

7– शर्त क्रमांक (8) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन पोर्टल में अपलोड कर दिया है।

शर्तें–B

1– शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

2– शर्त क्रमांक (2) के पालन में प्रकरण में आपके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार वृक्षारोपण का कार्य किया जावेगा।

3– शर्त क्रमांक (3) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा अतिरिक्त एन.पी.वी. जमा करने का वचन पत्र दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

4– शर्त क्रमांक (4) से (16) तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

29.01.24

(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1090 / 2021 / 10–11 / 587 भोपाल, दिनांक 29/01/2024

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, श्योपुर, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, मोतीमहल, ग्वालियर मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

29.01.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल